12/05/25

पत्रावली पास्ते निर्णय प्रा.पत्र (दि. 31.07.23) हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रा.पत्र (दि. 31.07.23) प्रार्थी तुयाब चन्द बाबत किसी आपत्ति स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र 251(क) RTA निरस्त किया जाता है। नंबर से क्रय हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2020/00369

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:58 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रकरण सं. 140/2020 अनवान बुधराम आदि बनाम विद्या देवी व अन्य
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.25	यह पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2023 जो सुभाषचन्द पुत्र रमेशचन्द संपरिवर्तित भूमि में से रास्ता स्वीकृति बाबत विधि विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त अनवान के प्रकरण को निरस्त किये जाने के निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त अनवान का प्रकरण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत बुधराम वगै0 के द्वारा अपनी खातेदारी में आने जाने के लिये कस्बा सूरतगढ़ की खसरा संख्या 514/213 की 1.898 है0 बारानी (पश्चिमी पासा) खातेदारी कृषि भूमि से रास्ता स्वीकृत किये जाने का पेश कर रखा है। प्रार्थी के द्वारा अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि का धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत कार्यवाही करते हुये संपरिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से करवाया हुआ है। यह भूमि कार्यालय नगरपालिका मण्ड़ल सूरतगढ़ के नाम से राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में इन्तकाल सं. 1310 दिनांक 09.05.2023 द्वारा अंकित है। इस संपरिवर्तित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की गई है। धारा 251क राज0 काश्त0 अधि0 के तहत केवल मात्र कृषि भूमि में से ही माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। यह वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। जो कि जमाबन्दी की नकल का अवलोकन से साबित है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने से पूर्व ही प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवाया हुआ है। इसलिये प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध पेश किये जाने के कारण निरस्त किया जावें। अप्रार्थी बुधराम पुत्र नत्थुराम व सन्तोष पत्नि बुधराम जाति नायक सा0 वार्ड सं. 22 सूरतगढ़ के द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पूर्व में 1955 के पश्चात की थी दिनांक 10.07.2020 को प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण ने रास्ता कस्बा सूरतगढ़ की खसरा सं. 514/213 के रकबा में से चालू पुराना रास्ता को स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जैर प्रकरण रकबा में से 495 फुट का लम्बा व तीन बिस्वा चौड़ा रास्ता चलता है। इस रकबा के खातेदारी अधिकार विधि विरूद्ध जारी किये गये है। इस रकबा का रास्ता सहित का बैयनामा प्रार्थी के पक्ष में हुआ और विधि विरूद्ध संपरिवर्तन हुआ है जो कि शून्य है। इसलिये इसे निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी सुभाषचन्द के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार दिनांक 25.05.2023 को बनाये जाने के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपनी खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन धारा 90ए राज0 भू0 राजस्व अधि0 [illegible] दिनांक 09.05.2023 का करवाया हुआ है। जो कि प्रस्तुत [illegible] अवलोकन से पूर्णतया साबित है। अकृषि [illegible] राज0 काश्त0 अधिनियम–1955 [illegible] माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिये [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण को निरस्त किये जाने [illegible] आदेश पारित किये जावें। अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित RRT 2013 (2) P.No.808 की नजीर पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण बुधराम वगै0 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में रास्ता स्वीकृत करवाये जाने वाली भूमि के	लगातार 2 ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:42:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद–पत्र संख्या : 194/2022 अनवान् : सतनाम सिंह बनाम् प्रेम कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12.05.25

खातेदारी अधिकार विधि विरूद्ध पारित किये गये है और इसका बैयनामा व संपरिवर्तन की कार्यवाही भी विधि विरूद्ध होने से यह शून्य दस्तावेज है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुभाषचन्द को इस प्रकरण में दिनांक 25.05.2023 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये जाने के पश्चात् बाद तामील दिनांक 31.07.2023 को जरिये वकील हाजिर होकर अपना प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति सहित फार्म सं. 3 के साथ दस्तावेजों की नकलों सहित पेश किया गया है कि उसकी खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि, कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई हुई है। प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल में प्रार्थी की भूमि इंतकाल संख्या 1310 दिनांक 09.05.2023 के द्वारा गै0मु0 आवासीय नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम से कस्बा सूरतगढ़ की खसरा नं. 514/213 मि0 1 में 1.898 है0 अंकित है। जैर प्रकरण में अंकित भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई हुई होने से इसमें से रास्ता स्वीकृत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2013(2) P.No. 808 अनवान राम बाबू व अन्य सोहन सिंह में भी माननीय राजस्व मण्ड़ल राज0 अजमेर द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिवादित किया गया है कि Land in question has been converted into abadi land & not an agriculture land under Sec-5(24) No jurisdiction to revenue Court to try the case - Held application rightly rejected जो इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। इस कारण से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी सुभाषचन्द का विधिक आपत्ति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2023 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के जैरकार प्रकरण सं. 140/2020 प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.16 19:02:58 IST
Reason: SelfAttested